

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 76/2022 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

भीमसैन पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।  
-वादी

बनाम

1. तहसीलदार(राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. भीमराज पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी देवासर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री सन्तलाल बिजारणिया वकील-वादी  
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 25.4.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री सन्तलाल बिजारणिया वकील वादी व पेरोकारराज की उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि ढाणी लेघान के ख.नं. 1144, 1169 की 5.868 है. सांझा खाता की भूमि में दर्ज वादी का नाम भोजराज पुत्र बजरंगलाल के स्थान पर भीमसैन पुत्र बजरंगलाल दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25.4.2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर